

मंडलायुक्त व जिलाधिकारी ने 75 और भवन स्वामियों को पेंग गेस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किया



अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। मण्डलायुक्त गैरव दयाल व जिलाधिकारी निर्तीमान ने आयुक्त कायोलय सभागार में पेंग गेस्ट योजना के 75 और अवेदकों भवन स्वामियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। अब तक 500 से अधिक भवन स्वामियों को पेंग गेस्ट योजना से जोड़ा जा चुका है तथा और नये भवन स्वामियों को योजना से जोड़ने का कार्य निरत प्राप्ति पर है। इस अवसर पर मण्डलायुक्त ने उपस्थित भवन स्वामियों से अपेल की कि वे अपने यहां आने वाले अतिथियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे उन्हें घर जैसा महसूस हो। उन्होंने कहा कि अयोध्या वारी होने के नाते सभी का कर्तव्य

अतिथियों की अच्छी सुविधा अवधनामा की प्रदान करना है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना से जुड़कर सभी को आतिथ्य कायोलय के आदायों को और निखारकर पूरे प्रदेश को रामयन करेगी। इसी क्रम में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध परिपारा को और निखारकर पूरे प्रदेश को रामयन करेगी। इसी क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बनाए जाने वाले मंच भी रामायण से जुड़े प्रसंगों पर होंगे।

बलात्कार का आरोपी दोषी करार सजा पर फैसला 6 जनवरी को

अवधनामा संवाददाता

अयोध्या। पहले जबरदस्ती बलात्कार करने फिर शादी का जांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया और जीवन दिलाने के नाम पर उसकी मां से 23 हजार रुपए भी हड़प लिया। पीड़िता ने आरोपी सतीश से जब शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने विवाह करने से इंकार कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर शान हैदरगंज में बलात्कार व धन हड़पने सहित हाई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ।

अधियोजन पक्ष से एडीजीयों के अनुसार अयोध्या जनपद के थाना हैदरगंज के एक गांव निवासिनी पीड़िता से हैदरगंज निवासी सतीश यादव ने मई 2016 में घर पर उसे अकेला पाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता ने जब धटना की सूचना नींवों मां को दिया तो लोक लज्ज के कारण कई जारी होनी की गई। उसके बाद

